रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06042026-271582
SG-DL-E-06042026-271582

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 02
No. 95]	DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 02

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–डीओपी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

फा० सं० 11/13/गृ0–डीओपी/2025/186–193–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितबंर, 1968 की अधिसूचना फा0 सं0 24/78/68–डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपर लोक अभियोजक के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, फा0 सं0 11/18/2020/गृ0–डीओपी/आर0आर0–III/560–568, दिनांक 23 नवंबर, 2022 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "अपर लोक अभियोजक" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

   (i) इन नियमों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अपर लोक अभियोजक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

Scanned with OKEN Scanner

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :– ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **"ाथिल करने की भाक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचाव** :– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	अपर लोक अभियोजक
2.	पदों की संख्या	:	210* (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –11 (रुपये 67,700 –2,08,700/–)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय :

Scanned with OKEN Scanner

			योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं **योग्यता मानक टीप :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **अनुभव मानक टीप :** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता – लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित – 85 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित – 15 प्रतिशत
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है	:	ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (रुपये 56,100–1,77,500/–) में सहायक लोक अभियोजक तथा विभाग द्वारा यथा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह तक का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले। टीप–जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो या दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त या वैधानिक संगठनों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान विश्वविद्यालयों/ के अंतर्गत अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप

Scanned with OKEN Scanner

			पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (रुपये 56,100–1,77,500/–) के पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष। तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले : **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में डिग्री। (ii) बार में 7 वर्षों का अनुभव। **वांछनीय :** सरकारी अधिवक्ता के रूप में एक वर्ष का अनुभव। टीप 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टीप 2:– प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। **मानक टीप** : लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समितिः 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. निदेशक, अभियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ललित कांत गौतम, उप–सचिव (गृह)

Scanned with OKEN Scanner

HOME-DOP DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd April, 2026

F. No. 11/13/H-DOP/2025/186-193—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, and in supersession of the No. F.11/18/2020/H-DOP/RR-III/560 to 568 dated the 23rd November, 2022 Recruitment Rules is so far as they relate to the post of Additional Public Prosecutor, and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the "**Additional Public Prosecutor**" in Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**–

(i) These rules may be called the Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, Additional Public Prosecutor Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Application:** - These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc:**-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall not be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:**-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4	5	6	7
ADDITIONAL PUBLIC PROSECUTOR	210* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group 'A'	Level 11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable	**Essential:-** Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable **Desirable:-** Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable **Qualification Standard Note:** Qualification are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Experience Standard Note:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether By direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: Not Applicable Edu. Qual.:	Not Applicable	Promotion failing which Deputation including Short Term Contract –	Assistant Public Prosecutor in the Level 10 (Rs. 56100/- - 177500/-) in the Pay Matrix with minimum 5 years of	Group 'A' Departmental Promotion Committee	Consultation with UPSC is not necessary.

Scanned with OKEN Scanner

Not Applicable		85% Deputation including Short Term Contract– 15%	regular service in the Grade and successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Deputation (including short term contract) Officers under the Central / state government/UTs/Autonomous or Statutory Organizations/ Recognized Research universities:- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. OR (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10(Rs.56100-1775000) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department. AND (b) Possessing the following educational qualifications and experience. Essential: (i) A degree in law of a recognized	1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi (Chairman) 2. Secretary Concerned, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3. Director of Prosecution, GNCTD (Member)	

Scanned with OKEN Scanner

			university/institute. (ii) Seven years experience at the Bar Desirable: One year Experience as Government Advocate. Note 1:- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation / Absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the central government ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Standard Note:** **N.A.**		

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

LALIT KANT GAUTAM, Dy. Secy (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Scanned with OKEN Scanner